प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम थाना : सी.पी.एस. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.सं. ....179/2023 दिनांक 8/7/2023

2. (i) अधिनियम – धारा – 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी. भा.द.स.
   (ii) अधिनियम – भा.द.सं. –
   (iii) अधिनियम – धारायें –
   (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....679.... समय ....2:00 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन व समयः गुरूवार दिनांक 06–7–23 समयः 4.54 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 03–7–2023

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : पूर्व दिशा में करीब 118 किमी.
   (ब) पता : श्री सोनाथ मीणा का मकान रेगर मोहल्ला तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
   ....–............ बीट संख्या ....–...........जरायमदेही सं...............
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....–................. जिला ....–.......................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम : – श्री लोकेश मीणा
   (ब) पिता का नाम : – श्री सोनाथ मीणा
   (स) जन्म तिथि/वर्ष : – 27 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....–.................. जारी होने की तिथि ....–........
   जारी होने की जगह ......–........................
   (र) व्यवसाय : – कारीगरी
   (ल) पता : – निवासी तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री गणराज रेगर पुत्र श्री लादूलाल रेगर उम्र 31 वर्ष निवासी गांव बरदपुरा ग्राम पंचायत अमरवासी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
   2. श्री शैतान तेली पुत्र गोपाल लाल तेली उम्र 34 वर्ष निवासी बरोदा पूर्व पंचायत सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर हाल विद्यालय सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पत्ति का विवरण(अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तुस्थिति
1	भारतीय चलन मुद्रा	18000 रूपये	आरोपी द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 18000 रूपये बरामद की गई।

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : –
11. मर्ग सूचना/अप्राकृतिक मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : –
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे):

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा।

विषय : भ्रष्ट व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पिता जी सोनाथ मीणा के नाम से ग्राम तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा प. स. जहाजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हुआ जिसके निर्माण हेतु 1,20,000/– स्वीकृत हुये। जिसमे से मेरे पिताजी के बैंक खाते में दो किश्तों के 60,000/– रूपये आ गये। और मकान का छत लेवल निर्माण हो चुका है। तीसरी किश्त की राशी 60,000/– रूपये के लिए मैं विद्यालय सहायक श्री शैतान तेली जी पहले ग्राम पंचायत बरोदा में पंचायत सहायक का कार्य करता था और अभी भी पंचायत बरोदा मैं ही ग्राम विकास अधिकारी गणराज रेगर के साथ काम करता है। दोनो दुसरी किश्त के समय मेरे पिताजी के प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण मकान पर जियो टेक करने आये थे उस समय शैतान तेली ने मेरे से 20,000/– रूपये रिश्वत की मांग की थी। मैं तीसरी किश्त का जियो टेक करने के लिए मैं शैतान तेली से मिला तो उसने कहा कि पहले के 20,000 रूपये रिश्वत के देगा तब आगे की कार्यवाही करूंगा। मैं शैतान तेली को रिश्वत के 20,000/– रूपये नही देना चाहता हुँ। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। हमारे व शैतान तेली के बीच किसी तरह की रंजिश व उधार का लेन–देन नही है। मेरे पिताजी अनपढ़ होने से रिश्वत के रूपये के लेन–देन की बातचीत व कार्यवाही में ही करवाउंगा। कानूनी कार्यवाही करे। इस संबंध में मैंने पिताजी से सहमति ले ली है।

दिनांक
03/07/2023

प्रार्थी
सही/–
(लोकेश मीणा s/o सोनाथ मीणा त पो. बरोदा
जहाजपुर भील. m 9079245915)

सही/–
सोनाथ

1. श्री प्रियशील दरबार–सही/–
2. श्री अभिषेक दाधीच –सही/–

<u>कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम।</u>

दिनांक 03.07.2023 समय 01.30 पी.एम. –

इस समय परिवादी श्री लोकेश मीणा पुत्र सोनाथ मीणा निवासी तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा उपस्थित कार्यालय होकर मन पुलिस निरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भीलवाडा को सम्बोधित करते हुये मय लाभार्थी विवरण पत्र की फोटोप्रति इस आशय का पेश किया कि " मेरे पिताजी सोनाथ मीणा के नाम ग्राम तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिती जहाजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है, जिसके निर्माण हेतु 1,20,000/– रूपये स्वीकृत हुए जिसमें से मेरे पिताजी के बैंक खाते में 2 किस्तो के 60,000 रूपये आ गये और मकान का छत तक निर्माण हो चुका है। तीसरी किस्त की राशी 60,000 रूपये के लिए मैं विद्यालय सहायक श्री शैतान तेली जो पहले ग्राम पंचायत बरोदा में पंचायत सहायक का कार्य करता था और अभी भी पंचायत बरोदा में ही ग्राम विकास अधिकारी गणराज रेगर के साथ काम करता है। दोनो दूसरी किश्त के समय मेरे पिताजी के प्रधानमन्त्री आवास योजना के निर्माण मकान पर जिओ टेक करने आये थे उस समय शैतान तेली ने मेरे से 20,000 /– रूपये रिश्वत की मांग की थी। मैं तीसरी किस्त का जियो टेक करने के लिये मैं, शैतान तेली से मिला तो उसने कहा कि पहले के 20,000/– रूपये रिश्वत के देगा तब आगे की कार्यवाही करूंगा। मैं शैतान तेली को रिश्वत के 20,000 रूपये नही देना चाहता हूँ। रिश्वत

लेते हुये को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। हमारे व शैतान तेली के बीच किसी प्रकार रंजिश व उधार का लेनदेन नही है। मेरे पिताजी अनपढ होने से रिश्वत के रूपये के लेनदेन की बातचीत व कार्यवाही मैं ही करवाऊँगा। कानूनी कार्यवाही करे। इस सम्बन्ध में मैंने पिताजी से सहमति ले ली है। मजमून रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशी लेनदेन का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तत्पश्चात् समय 03.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर उपस्थित हुआ जिस पर श्रीमान ने परिवादी से दरयाप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये तत्पश्चात् समय 04.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी नें बताया कि मेरा गांव काफी दूर होने से आज रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करायी जाना सम्भव नही है। दिनांक 04.07.2023 को मैं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। उसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक नें कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री पवन कानि 417 से कार्यालय हाजा के मालखाने से डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी श्री लोकेश मीणा का श्री पवन कानि से आपस में परिचय करवाया इसके उपरांत परिवादी श्री लोकेश मीणा को डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू व बन्द करने की समझाईश की गई व कानि. पवन कुमार व परिवादी श्री लोकेश मीणा के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया तथा कानि. पवन कुमार को हिदायत दी कि दिनांक 04.07.2023 को परिवादी के गांव बरोदा पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री लोकेश मीणा को आवश्यक गोपनीयता की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 04.07.2023 को समय 12.30 पी.एम. पर श्री पवन कुमार कानि 417 को मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड सिपुर्द कर परिवादी श्री लोकेश मीणा से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही हेतु परिवादी के गांव तलोदा के लिये आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को श्री पवन कुमार कानि 417 ने जरिये दूरभाष मोबाईल से बताया कि परिवादी श्री लोकेश मीणा की जियो टेक करने वाले व्यक्ति शैतान तेली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता हो चुकी है, परिवादी के परिवार के आवश्यक कार्य होने से गांव ही रूकना चाह रहा है। इस पर परिवादी से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दूरभाष पर वार्ता की तो उसने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन की ताईद की तत्पश्चात् परिवादी को आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये तथा श्री पवन कुमार कानि. को वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की। समय 08.15 पी.एम. पर श्री पवन कुमार कानि 417 ने उपस्थित कार्यालय होकर डिजिटल वाइँस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सिपुर्द कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर कस्बा जहाजपुर पहुंचकर परिवादी लोकेश मीणा को उसके मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर मैने उसको जहाजपुर बुलाया। परिवादी के जहाजपुर आने पर उसकी मोटर साईकिल से रवाना होकर ग्राम तलोदा उसके मकान पर पहुंचे। परिवादी को शैतान तेली की लोकेशन मालूम करने हेतु कहा तो परिवादी ने शैतान तेली के मोबाईल पर कर मुझे बताया कि श्री शैतान तेली मेरे घर पर ही 10 से 15 मिनट में आ रहा है। करीब 10–15 मिनट बाद शैतान तेली परिवादी के घर पर आया। मैं व परिवादी कमरे के अन्दर बैठे हुये थे, शैतान तेली के आने के बाद मैने परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सिपुर्द कर कमरे के बाहर की तरफ भेजा। करीब 10 मिनट बाद परिवादी ने वाइँस रिकार्डर चालू हालत में मुझे सिपुर्द किया, जिसको मैने बन्द किया और परिवादी नें बताया कि मेरी शैतान तेली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की बातचीत हो गई है जिसको मैने डिजिटल वाइँस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड कर ली है। परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं आपके साथ नही चल सकता। रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने पर मैं आपके कार्यालय में आ जाऊँगा। आपके दूरभाष निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत कर उपस्थित कार्यालय आया। मन पुलिस निरीक्षक नें डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। दिनांक 05.07.2023 को समय 09.15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी लोकेश मीणा ने जरिये दूरभाष मोबाईल पर बताया कि आज मैं आवश्यक कार्य से बाहर हुं। आज रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था

नही हो पायी है, रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 06.07.2023 को आपके कार्यालय में आ जाऊँगा। दिनांक 05.07.2023 को समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी के कहे अनुसार दिनांक 06.07.2023 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह पाबन्द कर लाने हेतु तहरीर श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110 को सिपुर्द कर रवाना किया गया तत्पश्चात् श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110 अपने साथ कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रियशील दरबार जूनियर असिस्टेंट व श्री अभिषेक दाधीच सूचना सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा के उपस्थित आये। गवाहान को दिनांक 06.07.2023 को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 04.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को अर्ज किये। ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु दिनांक 06.07.2023 को कानि. प्रेमराज 225 एसीबी भीलवाडा द्वितीय को कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रियशील दरबार व श्री अभिषेक दाधीच को दिनांक 06.07.2023 को 11.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 06.07.2023 समय 09.30 ए.एम. पर श्री प्रेमराज कानि नं. 225 दिनांक 05.07.2023 का तलबशुदा ट्रेप कार्यवाही इमदाद हेतु एसीबी चौकी भीलवाडा द्वितीय से उपस्थित कार्यालय आया। समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री लोकेश मीणा पुत्र सोनाथ मीणा निवासी तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि 18 हजार रूपये ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 04.07.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री पवनकुमार जी जहाजपुर आये तथा मेरे से मोबाईल पर वार्ता कर मुझे भी जहाजपुर बुलाया। मेरे जहाजपुर आने पर मैं व श्री पवनकुमार जी मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर मेरे ग्राम तलोदा मेरे मकान पर पहुंचे। मेरे को पवन कुमार जी ने शैतान तेली की लोकेशन मालूम करने हेतु कहा तो शैतान तेली के मोबाईल पर बात की तो श्री शेतान तेली मेरे घर पर कुछ समय बाद आ गये तथा श्री पवनकुमार जी मेरे घर में बने कमरे के अन्दर थे जिन्होने मेरे को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित चालु करके दिया और मैं मेरे घर के कमरे के बाहर आ गया और श्री शैतान तेली से मेरे पिताजी के नाम स्वीकृत प्रधानमन्त्री आवास योजना के मकान की जी.ओ. टेक करने के लिये बातचीत की तो उन्होने 18,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर देने के बाद ही आगे की कार्यवाही करने के लिये कहा था। उसके बाद श्री शैतान तेली मेरे घर से चले गये और मैं वापस मेरे घर में बने कमरे में आया और श्री पवन कुमार जी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित दिया और उन्होने डिजिटल टेप रिकॉर्ड को बन्द किया तथा श्री पवनकुमार जी को भी मैंने रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होने के बारे में बताया तत्श्चात् आपको श्री पवनकुमार जी ने उस समय फोन पर हालात बताये तथ मैंने भी आपको मांग सत्यापन के हालात बताने के बाद मेरे आवश्यक काम होने से मैं मेरे गांव ही रूक गया तथा श्री पवन कुमार जी मेरे घर से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर भीलवाड़ा के लिये रवाना हो गये थे। दिनांक 05.07.2023 को मेरे आवश्यक काम होने से मैं आपके कार्यालय में नही आने के सम्बन्ध में भी आपसे फोन पर बातचीत कर बताया था। श्री शैतान तेली को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 18,000 रूपये की व्यवस्था होने के उपरान्त मैं आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही करवाने के लिये उपस्थित हुआ हूँ। समय 11.05 ए.एम. पर गवाह श्री प्रियशील दरबार व श्री अभिषेक दाधीच पाबन्द शुदा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिनका परिवादी श्री लोकेश मीणा से परिचय आपस में कराया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी लोकेश मीणा की रिपोर्ट को पढ़ाया गया, उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर मेमोरी कार्ड में दिनांक 04.07.2023 की रिकार्ड रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता को सुनाई गई। जिस पर दोनो गवाहान नें रिश्वत राशी मांग सत्यापन होना जाहिर किया। समय 01.00 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस नरसी लाल मीणा द्वारा परिवादी श्री लोकेश मीणा को रिश्वत दी जानी वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 36 नोट कुल 18,000 रूपये प्रस्तुत किये जिनके के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि 34 से उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोल्फथलीन पाउडर

लगवाया गया। परिवादी श्री लोकेश मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री प्रियशील दरबार से लिवाई जाकर कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि से परिवादी की पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये । गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थेलीन पाउडर का रासायनिक प्रक्रिया दृष्टांत देकर समझाई गई। परिवादी को रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर ईशारा करने की समझाईश की गई। उक्त ईशारा ट्रेप कार्यवाही टीम को समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट, सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थेलीन पाउडर मुर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्री श्रवणकुमार हैड कानि. को भेजकर प्राईवेट वाहन टेक्सी आरजे–27–टीए– 3084 मय ड्राइवर के तलब की गई। समय 2:10 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री प्रियशील दरबार, श्री अभिषेक दाधीच, श्री रामपाल सउनि,, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 205 व श्री दलपत सिंह कनि. सहायक, मय लेपटॉप प्रिन्टर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड, आवश्यक लेखन सामग्री के प्राईवेट वाहन आरजे–27–टीए–3084 मय ड्राइवर के ट्रेप कार्यवाही हेतु ग्राम तलोदा ग्राम पंचायत बरोदा के लिये रवाना हुए तथा निजी वाहन कार से श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110, श्री प्रेमराज कानि, श्री पवन कुमार कानि मय ट्रेप बॉक्स एवं परिवादी श्री लोकेश मीणा को साथ–साथ रवाना बरोदा के लिये किया गया। समय 04:10 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री प्रियशील दरबार, श्री अभिषेक दाधीच, श्री रामपाल सउनि,, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 205 व श्री दलपत सिंह कनि. सहायक, मय लेपटॉप प्रिन्टर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड, आवश्यक लेखन सामग्री के प्राईवेट वाहन आरजे–27–टीए–3084 मय ड्राइवर सहित एवं निजी वाहन कार में सवार श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110, श्री प्रेमराज कानि, श्री पवन कुमार कानि एवं परिवादी श्री लोकेश मीणा सहित परिवादी के गांव तलोदा के पास पहुँचे। समय 04:15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने वाहनो को साइड में खड़ा करवा परिवादी श्री लोकेश मीणा को आरोपी शैतान तेली की लोकेशन मालूम करने की कहा तो परिवादी ने अपने मोबाइल नंबर 9079245915 से आरोपी के मोबाइल नंबर 9722002181 पर कॉल किया तो आरोपी ने बताया कि मैं थोड़ी देर में आपके घर पर आ रहा हूँ आप मुझे घर पर ही मिलना। समय 04:25 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने कॉन्स्टेबल गजेन्द्र सिंह को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर, कॉनि श्री पवन कुमार को परिवादी के साथ परिवादी के मकान की तरफ रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाह व अन्य ट्रैप पार्टी सदस्य सहित पेदल–पेदल रवाना हुआ व प्राईवेट वाहन मय ड्राइवर को हिदायत कर तलोदा गांव में परिवादी के मकान के एक तरफ साईड में खड़ा करवा वहीं पर मुकीम रखा। समय 04:43 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के मकान के पास पहुंच कर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः चालु व बन्द करने की समझाईश देकर श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवा परिवादी को सुपुर्द करवा परिवादी को उसके घर के अन्दर की ओर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य परिवादी के घर के आस–पास साईड में खड़ा होकर परिवादी के इशारे के इंतजार में मुकीम रहे। परिवादी श्री लोकेश मीणा ने समय 4.54 पी.एम. पर परिवादी के निवास स्थान घर से बाहर आकर सड़क पर खड़े होकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। उक्त निर्धारित ईशारा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल मय दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित परिवादी श्री लोकेश मीणा के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को चालू हालात में दिया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष बताया कि अभी–अभी श्री शैतान तेली ने मेरे घर के अन्दर आकर मेरे से उसकी मांग के अनुसार अठारह हजार रूपये रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कर उनकी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये तथा उसके बाद वह मेरे प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत बनाये हुए मकान पर स्वीकृत राशि व व्यय राशि आदि का विवरण उक्त मकान पर कलर से लिख रहे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल द्वारा परिवादी श्री लोकेश मीणा को अपने साथ लेकर मय दोनों गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित परिवादी के मकान के अन्दर पहुँचे जहां एक व्यक्ति नवनिर्मित मकान पर कलर पेन्ट से विवरण लिख रहा था जिसके पास पहुँचे ओर परिवादी श्री लोकेश मीणा ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री शैतान तेली पूर्व पंचायत

सहायक है जिसने अभी–अभी मेरे से इसके और श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा के लिये अठारह हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर इनकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखे है। इस पर उक्त को मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मनतव्य से अवगत कराया जाकर उक्त को अपना परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री शैतान तेली पुत्र गोपाल लाल तेली उम्र 34 वर्ष निवासी बरोदा पूर्व पंचायत सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर हाल विद्यालय सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री शैतान तेली को परिवादी श्री लोकेश मीणा की ओर ईशारा कर पूछा कि श्री लोकेश मीणा के पिता सोनाथ मीणा के नाम पर प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत निर्माण शुदा मकान की अन्तिम किश्त राशि साठ हजार रूपये खाते में डालने के लिये जी.ओ. टेक करने के लिये श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी की आपसी मिलीभगत कर आपके द्वारा दिनांक 04.07.2023 को दौरान् रिश्वत राशि मांग सत्यापन अठारह हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा अभी–अभी अठारह हजार रूपये लेकर आपके द्वारा अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखे है ? इस पर आरोपी श्री शैतान तेली ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा कि गलती हो गई है माफ कर दो आईन्दा ऐसी गलती नही करूंगा। मेरी मदद करो। यह रूपये मैंने मेरे लिये नही लिये है यह रूपये मैंने श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा के कहने से ही लिये है तथा इस मकान का जी.ओ.टेक भी श्री गणराज जी रेगर ही करेंगे तथा मैं तो इस मकान पर केवल स्वीकृत राशि व व्यय राशि का विवरण लिखने का काम करता हूँ जिसके बदले इन रूपयो में से मुझे चार सौ–पांच सौ रूपये ही केवल देते है। श्री शैतान तेली ने बताया कि मैं पूर्व में पंचायत सहायक के पद पर ग्राम पंचायत बरोदा में ही काम करता था तथा उसके बाद पद का नाम परिवर्तित होकर विद्यालय सहायक के पद पर पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा में लगा दिया परन्तु मैं वर्तमान में भी श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी के कहे अनुसार ग्राम पंचायत में भी अतिरिक्त कार्य करता हूँ। इस पर श्री शैतान तेली ने कहा कि यह अटठारह हजार रूपये श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी के लिये ही लिये है जिसके बारे में आप कहो तो मैं उनके मोबाईल पर इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकता हूँ। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शैतान तेली को उसके मोबाईल नम्बर से श्री गणराज रेगर के मोबाईल नम्बर पर कॉल लगवाकर वार्ता हेतु कहा गया तो श्री शैतान तेली ने उसके मोबाईल नम्बर 9772002181 से श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर 8104844864 पर समय करीब 5.01 पी.एम. पर कॉल लगवाया जाकर रींग जाने पर लाउडस्पीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर उसके पास रखा तथा वार्ता करवाई तो उसके द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तत्पश्चात् पुनः श्री शैतान तेली के 8104844864 पर समय करीब 5.04 पी.एम. पर कॉल लगवाया जाकर रींग जाने पर लाउडस्पीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर उसके पास रखा तथा वार्ता करवाई तो उसके द्वारा रिश्वत राशि लेने और उसी दौरान् परिवादी श्री लोकेश मीणा की बात भी श्री गणराज रेगर से करवाई गई थी उक्त बातचीत को भी डिजिटल टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया था। हालात से श्रीमान् बृजराजसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा को निवेदन किये गये। चूंकि उक्त वार्ता अनुसार श्री गणराज रेगर को भी डिटेन किया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो टीम के सदस्य श्री श्रवणकुमार हैड कानि. 110, श्री प्रेमराज कानि. 225 एवं श्री पवन कुमार कानि. नम्बर 417 को आवश्यक हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री गणराज के गांव बरदपुरा ग्राम पंचायत अमरवासी पंचायत समिति जहाजपुर इत्यादि के लिये रवाना किया गया।

प्रकियानुसार श्री शैतान तेली के दोनो हाथों एवं पेन्ट की जैब का धोवन लिया जाना वांछित होने से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ गिलास निकलवाई जाकर मकान के अन्दर से पानी के मटकी से साफ पानी मंगवाया जाकर गिलास को साफ धुलवाई जाकर उक्त कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शैतान तेली के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.

एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शैतान तेली के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष ली गई आरोपी श्री शैतान तेली की निशानदेही पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक दाधीच से लिवाई गई तो 500–500 रूपये के 36 नोट कुल राशि 18000 रूपये बरामद हुए। उक्त गवाह से ही पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुए।

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0GG	521824
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4MP	417064
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5BF	378011
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5AK	739731
5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2UB	318213
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DW	500241
7	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5DQ	322093
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2MP	410021
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3UH	628669
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7UB	077820
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5EQ	983107
12	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2ED	158310
13	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4CC	529209
14	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3UC	380953
15	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2AR	111846
16	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1DQ	356199
17	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4QD	949551
18	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7AR	020241
19	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8BD	901678
20	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5CS	053243
21	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4SD	083128
22	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3HB	108381
23	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8DW	421112
24	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8VM	749746
25	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5CS	062781
26	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1DW	531959
27	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7MG	966455
28	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9BV	661228
29	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2TC	331597
30	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4EM	772681
31	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1HP	125478
32	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4KW	969528
33	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0KW	858773
34	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CU	843135
35	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5FF	394839

36	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2AF	757150

उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट बन्द श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से करा मार्क एन. अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिये गये। आरोपी श्री शैतान तेली को पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट मंगवाया जाकर उसके पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर मंगवाया गया पेन्ट पहनाई जाकर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाने के पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री शैतान तेली की उतरवाई गई पेंट की पेंट की आगे की बांयी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त पेंट की जेब को सुखवाकर पेंट की आगे की बांयी जेब पर एक सफेद कागज की चिट स्टेपल कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। उक्त पेंट जो बरंग ग्र है को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सिलचिट बंद कराया जाकर मार्क पी. अंकित करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट पेकेट को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसी दौरान् श्री शैतान तेली को श्री लोकेश मीणा के पिता श्री सोनाथ मीणा के नाम स्वीकृत प्रधानमन्त्री आवास योजना के आवेदन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज के बारे में पुछा तो उसने बताया कि ग्राम पंचायत बरोदा में ही इसका रिकॉर्ड होगा तथा इसके बारे में श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी ही बता सकते है। परिवादी से सम्बन्धित उक्त रिकॉर्ड पृथक से प्राप्त किया जायेगा। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी श्री शैतान तेली के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी श्री शैतान तेली ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07:00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 07:15 पी.एम. आरोपी श्री शैतान तैली पूर्व पंचायत सहायक ग्राम पंचायत बरोदा हाल विधालय सहायक रा.उ.मा.वि. बरोदा, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07:35 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक को हैड कानि श्रवण कुमार ने जरिये फोन बताया कि श्री गणराज रेगर, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा, पंचायत समिति–जहाजपुर, जिला–भीलवाडा अपने स्वयं के निवासी ग्राम बरदपुरा ग्राम पंचायत अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को निर्देशानुसार डिटेन कर लिया गया है। जिस पर हैड कानि श्रवण कुमार को निर्देशित किया कि श्री गणराज रेगर, ग्राम विकास अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना जहाजपुर पर लेकर पहुँचे। समय 07:40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह श्री अभिषेक दाधिच, परिवादी लोकेश, सउनि रामपाल, कानि गजेन्द्र सिंह, श्री दलपत सिंह कनिष्ठ सहायक मय गिरफतारशुद्वा आरोपी शेतान तेली जप्तशुद्वा आर्टीकल मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय प्राईवेट वाहन के ग्राम तलोदा से पुलिस थाना जहाजपुर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री लोकेश मीणा के पिता श्री सोनाथ मीणा के नाम स्वीकृत प्रधानमन्त्री आवास योजना से सम्बन्धित दस्तावेज चाहने एवं परिवादी व आरोपीगणों के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन–देन के वक्त हुई रूबरू व मोबाईल वार्ता की आवाज की पहचान पदस्थापन सहकर्मी से करवाया जाने हेतु जरिये दूरभाष वार्ता कर ग्राम पंचायत बरोदा में कार्यरत श्री महावीर टेलर कनिष्ठ सहायक को परिवादी के पिता के प्रधानमन्त्री आवास योजना से सम्बन्धित दस्तावेज लेकर पुलिस थाना जहाजपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। समय 08:25 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह श्री अभिषेक दाधिच, परिवादी लोकेश, सउनि रामपाल, कानि गजेन्द्र सिंह, श्री दलपत सिंह कनिष्ठ सहायक मय गिरफतारशुद्वा आरोपी शेतान तेली जप्तशुद्वा आर्टीकल मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना जहाजपुर के बाहर पहुँचा, जहां एचसी श्रवण कुमार कानि प्रेमराज कानि पवन कुमार गवाह श्री प्रियशील मय डिटेन शुद्वा आरोपी श्री गणराज ग्राम

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा उपस्थित मिले जिनको हमरा लेकर पुलिस थाना जहाजपुर पहुँचकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 08:40 पी.एम. पर दोनो गवाहान के समक्ष डिटेनशुदा आरोपी श्री गणराज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को परिवादी की ओर ईशारा कर पुछा कि श्री लोकेश मीणा के पिता श्री सोनाथ मीणा निवासी तलोदा के नाम पर प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आपके द्वारा प्रथम किश्त, दूसरी किश्त के बाद अन्तिम किश्त साठ हजार रूपये की राशि पास करने हेतु जी.ओ. टेग का कार्य करने के लिये पूर्व में ग्राम पंचायत बरोदा में पदस्थापित पंचायत सहायक श्री शैतान तेली के मार्फत बीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तत्पश्चात् मांग सत्यापन दिनांक 04.07.2023 को अट्ठारह हजार रूपये रिश्वत की मांग करना तथा आज दिनांक 06.07.2023 को आरोपी श्री शैतान तेली द्वारा परिवादी श्री लोकेश मीणा से उसके पिता श्री सोनाथ मीणा के स्वीकृत प्रधानमन्त्री आवास योजना का जी.ओ. टेग करने के लिये आपके कहे अनुसार दौरान् ट्रेप कार्यवाही अट्ठारह हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात आरोपी श्री शैतान तेली की वार्ता मोबाईल पर आपसे व परिवादी से करवाई गई थी जिस पर पर आपके द्वारा रिश्वत राशि लेने बाबत् वार्ताअनुसार स्वीकार किया जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि श्री लोकेश मीणा के पिता श्री सोनाथ मीणा द्वारा उक्त प्रधानमन्त्री आवास योजना का मकान नियमानुसार नही बनाया गया था जिसको मेरे द्वारा अप्रुड करने व जी.ओ.टेग करने के लिये श्री शैतान तेली जो कि पूर्व में पंचायत सहायक के पद पर ग्राम पंचायत में कार्यरत था तथा वर्तमान में विद्यालय सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा में कार्यरत है परन्तु वह भी मेरे पास ही ग्राम पंचायत का काम मेरे कहे अनुसार करता है जिसको मैंने रिश्वत राशि लेने हेतु कहा गया था। इसके बाद श्री गणराज रेगर से दोनो गवाहान के समक्ष विस्तृत पुछताछ कर पुछताछ नोट तैयार करवाया जाकर उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.00 पी.एम. पर आरोपी श्री गणराज रेगर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.40 पी.एम. पर ग्राम पंचायत बरोदा में पदस्थापित श्री महावीर टेलर कनिष्ठ सहायक जो कि पुलिस थाना जहाजपुर में उपस्थित आया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना तथा दोनों गवाहान का परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री महावीर प्रसाद टेलर पुत्र श्री बालुलाल निवासी शक्करगढ़ पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा होना बताया जिसके द्वारा परिवादी, दोनो गवाहान एवं आरोपी श्री गणराज रेगर व श्री शैतान तेली के समक्ष परिवादी श्री लोकेश मीणा के पिता श्री सोनाथ मीणा के प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज पेश किये जिसके अवलोकन से पाया कि श्री सोनाथ मीणा पिता श्री रामा निवासी तलोदा द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत एस.टी. वर्ग में वर्ष 2021–22 के तहत आवेदन पत्र ग्राम पंचायत बरोदा में किया गया था जिसके आवेदन की वरीयता क्रमांक 106 है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, खाते की पासबुक की प्रति, जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति है। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 07.07.2023 समय 12.10 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री प्रियशील दरबार, श्री अभिषेक दाधीच, श्री रामपाल सउनि,, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 205 व श्री दलपत सिंह कनि. सहायक, मय लेपटॉप प्रिन्टर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड, आवश्यक लेखन सामग्री के प्राईवेट वाहन आरजे–27–टीए–3084 मय ड्राइवर सहित दोनो गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री गणराज रेगर व श्री शैतान तेली व जब्त शुदा आर्टीकल्स सहित एवं निजी वाहन कार में सवार श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110, श्री प्रेमराज कानि, श्री पवन कुमार कानि एवं परिवादी श्री लोकेश मीणा सहित पुलिस थाना जहाजपुर से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा के लिये रवाना होकर समय 2.00 ए.एम. ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम पर पहुँचे तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उसके पश्चात् आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु पुलिस थाना सुभाषनगर भीलवाड़ा में जमा करवाया गया। समय 3.15 ए.एम. पर रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री लोकेश मीणा की वार्तालाप आरोपी श्री शैतान तेली के मध्य आमने सामने हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय

हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव व तीसरे पर आई.ओ. पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से तैयार करवाई गई तत्पश्चात् मूल व डब पेनड्राईव पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क– ए अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 4.50 ए.एम. पर रिश्वती राशि लेन–देन के दौरान परिवादी श्री लोकेश मीणा की वार्तालाप आरोपी श्री शैतान तेली के मध्य आमने सामने हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की चार पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दो डब पेनड्राईव व चोथा पर आई.ओ. पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से तैयार करवाई गई तत्पश्चात् मूल व दो डब पेनड्राईव पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क–बी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.40 ए.एम. पर रिश्वती राशि लेन–देन के पश्चात् आरोपी श्री शैतान तेली की उसके मोबाईल नम्बर 9772002181 से श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर 8104844864 पर समय करीब 5.01 पी.एम. पर कॉल लगवाया जाकर वार्ता करवाई गई जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया तत्पश्चात् पुनः श्री शैतान तेली के मोबाईल नम्बर 9772002181 से श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर 8104844864 पर समय करीब 5.04 पी.एम. पर कॉल लगवाया जाकर वार्ता करवाई गई जिसे भी डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की चार पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दो डब पेनड्राईव व चोथा पर आई.ओ. पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री गजेन्द्रसिंह कानि. से तैयार करवाई गई तत्पश्चात् मूल व दो डब पेनड्राईव पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क सी. अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.00 ए.एम. पर परिवादी श्री लोकेश मीणा तथा आरोपी श्री शैतान तेली व श्री गणराज रेगर के मध्य क्रमशः हुई रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन व लेन–देन के बाद मोबाईल वार्ता हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जी.बी. जिस पर V-CLASS लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया जाकर समय 11.00 ए.एम. पर जब्त शुदा रिश्वती राशि, धोवन की शीशियां, शील्ड पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड इत्यादि को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखाकर जमा मालखाना करवाया जाकर समय 11.10 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपयोग मे ली गई ब्रास सील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के फारीख होने के बाद कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के बाहर पत्थर से तुड़वाकर नष्ट की गई जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही से फारिग होकर दोनो स्वतन्त्र गवाह को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत की गई तथा परिवादी श्री लोकेश मीणा को भी आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 11.50 ए.एम. पर श्री श्रवणकुमार हैड कानि. व श्री पवनकुमार को पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु जमा करवाये गये आरोपीगण श्री गणराज रेगर व श्री शैतान तेली को ब्यूरो कार्यालय में लेकर आने हेतु जरिये वाहन रवाना किया गया जो उक्त दोनों आरोपीगणों को लेकर ब्यूरो कार्यालय में समय 12.15 पी.एम. पर उपस्थित आये। ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 65–बी प्रमाण पत्र तैयार करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल, ब्यूरो कार्यालय स्टाफ के सदस्य श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री श्रवणकुमार हैड कानि., श्री गजेन्द्रसिंह कानि. व श्री पवनकुमार कानि. सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक के आरोपीगण श्री गणराज रेगर व श्री शैतान तेली को माननीय न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा के समक्ष पेश करने हेतु रवाना हुए।

इस प्रकार आरोपी श्री शैतान तेली पूर्व पंचायत सहायक हाल विधालय सहायक रा.उ.मा. विधालय बरोदा द्वारा परिवादी श्री लोकेश मीणा के पिता श्री सोनाथ मीणा के नाम प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत बनाये गये मकान की अन्तिम किश्त 60,000 रूपये पारित करने हेतु जी.ओ. टेग श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी से करवाने के लिये बीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तत्पश्चात् सत्यापन से अट्ठारह हजार रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ। इस प्रकार सत्यापन से रिश्वती राशि के मांग की पुष्टि होने पर ही दिनांक 06–07–23 को नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर परिवादी श्री लोकेश मीणा से आरोपी श्री शैतान तेली पूर्व पंचायत सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर हाल विद्यालय सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा द्वारा 18000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। मौके पर ही आरोपी श्री शैतान तेली पूर्व पंचायत सहायक द्वारा रिश्वत राशि श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर के लिये लेना अवगत कराया गया जिसकी पुष्टि हेतु आरोपी श्री शैतान तेली व श्री गणराज रेगर व परिवादी के मध्य मोबाईल पर वार्ता करवाई जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई जिससे रिश्वत राशि श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से लेना पाया जाने से आरोपी श्री गणराज रेगर ग्राम विकास अधिकारी को भी डिटेन किया जाकर उक्त दोनों आरोपीगणों को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा परिवादी के पिता के नाम प्रधानमन्त्री आवास योजना के दस्तावेज की छायांप्रतिया प्राप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

अतः आरोपी श्री गणराज रेगर पुत्र श्री लादूलाल रेगर उम्र 31 वर्ष निवासी गांव बरदपुरा ग्राम पंचायत अमरवासी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा एवं श्री शैतान तेली पुत्र गोपाल लाल तेली उम्र 34 वर्ष निवासी बरोदा पूर्व पंचायत सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर हाल विद्यालय सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी. भा.द.स. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(नरसी लाल)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरसी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री गणराज रेगर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरोदा, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा एवं 2. श्री शैतान तेली, पूर्व पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत बरोदा, पंचायत समिति जहाजपुर, हाल विद्यालय सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरोदा, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 179/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2252-56 दिनांक 08.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय(प्रारम्भिक शिक्षा) भीलवाड़ा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।